जनवरी, 2018

हिमाचल शूरवीर हितैषी

निदेशक :
सैनिक कल्याण विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार
पिन–177001

बहादुर जवानो के लिए सन्देश

मुझे एक सन्देश देना हिन्द के बहादुर जवानो तुम्हें
हर पल पल में पैहरे पर रहना होशियार तुम्हे।
चला गया जो पीछे शत्रु पता नहीं उसकी नीति का
देख लिया परिणाम आखिर होता बुरी नीति का।
ख्याल करो अपनी रीति का घर बीवी का एहसास तुम्हें
बिगडी बात बना लो जवानो धन्या धन्या बारम्बार तुम्हें।
हमलावर ने पहले जो सीमा पर हमला बोला था
देख लिया सारे संसार ने अमृत में विष घोला था।
भारत का बल तोला था जब किया अमन से वे–आराम तुम्हें
भारत के बर्फीले पहाडों पर भेजा था दे जंगी हथियार तुम्हें।
मुझे पता है उस सर्दी का जिसमें तुम रहते/सोते होंगे
जंगल में भी देख चुका हूँ कि जिन आतंकियों को ढूंढते होंगे।
पल पल में व्याकुल होंगे घेर रहा अन्धकार तुम्हें
लाज देश की रखनी होगी रखना दृढ़ विचार तुम्हें।
ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख कर नहीं बर्फ से डरना होगा
भयानक जंगलों में भी बहादुर सैनिको मंगल करना होगा तुम्हें।
देश हित में लड़ना जो मिलेगा करोडों भारतीयों का प्यार तुम्हें
नहीं अकेले तुम सीमा पर भारतवासी सारे होंगे।
सुख में काम करेंगे अपना संकट में साथ तुम्हारे होंगे
हजार शीश हमारे होंगे यह कहते भारतवासी हर बार तुम्हें।
सीमा पर सहयोग मिलेगा वक्त पड़े प्यार तुम्हें
अगर चीन/पाक की दोहरी चालों पर शाबाश करेगा।
सुस्त रहा जो सीमा पर शत्रु से नहीं तनेगा
बिन मौत तत्काल मरेगा तो थूकेगा संसार तुम्हें।
भारत का नक्शा बदलेगा मिलेगा कौन सा संस्कार तुम्हें
जीत मोर्चा आयोगे इतिहास में प्रचार होगा तुम्हें।
भारत की लाज बचालोगे तो मिलेगा विजय का हार तुम्हें
वीरचक्र प्रदान करेगी भारत की सरकार तुम्हें।
मुझे एक संदेश देना हिंद के वीर जवानों तुम्हें
हर पल पल सीमा पर रहना होगा होशियार तुम्हें।

पूर्व सैनिक मिलखी राम (1958–1973)
गाँव व डाकघर चमनेड़
तहसील व ज़िला हमीरपुर (हि०प्र०)

साल में 1400 पूर्व फौजियों को रोजगा

सैनिक कल्याण बोर्ड हमीरपुर ने हर विभाग में 15 फीसदी कोटे से सौंपी सौगात

■ स्टाफ रिपोर्टर, हमीरपुर

सैनिक कल्याण बोर्ड हमीरपुर ने एक वर्ष में राज्य के पूर्व सैनिकों को कई बड़ी सौगातें दी हैं। जहां कल्याणकारी योजनाओं की राशि बढ़ाकर राहत प्रदान की गई, वहीं रोजगार के द्वार भी खोले हैं। पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष रोजगार का आंकड़ा दोगुना हो गया। हरेक विभाग में 15 फीसदी कोटे के आधार पर पूर्व सैनिकों को नौकरियां दी गईं। एक वर्ष में 1400 पूर्व सैनिकों को रोजगार मिला है। बिजली बोर्ड, एचआरटीसी व पुलिस विभाग में अधिक पूर्व सैनिक भर्ती हुए। साथ ही शिक्षा व अन्य विभागों में भी योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है। सैनिक कल्याण बोर्ड के निदेशक ब्रिगेडियर सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि इस वर्ष अब तक 1400 पूर्व सैनिकों को नौकरी प्रदान की गई। पिछले साल 600 के करीब नौकरियां दी गई थीं। वहीं बैटल कैजुअल्टी की राशि को भी पांच लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। युद्ध के दौरान शारीरिक अपंगता पर सरकार पांच लाख रुपए देगी। इससे पहले यह राशि मात्र डेढ़

वजीफे को बढ़ाया इन्कम का दायरा

छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभ के लिए सैनिकों की इन्कम का दायरा भी बढ़ाया गया है। अब तीन लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले पूर्व सैनिकों के बच्चे इन योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। स्नातकोत्तर के लिए 500 रुपए, पोलीटेक्नीक तथा कृषि विधि को 500 रुपए, डाक्टरी-इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक संस्थान जैसे कोर्स को 1000 रुपए, बीएड, जेबीटी, डैसर-डिप्लोमा, एलटी, ओटी, आदि, सामान्य सेवाएं, पटवारी कोर्स, वेटरिनरी स्टाफ कोर्स के लिए 500 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

■ कल्याणकारी योजनाओं की राशि बढ़ाकर दी राहत

लाख रुपए थी। वहीं युद्ध के दौ 50 फीसदी अपंगता होने सेवानिवृत्ति लेने वाले भारतीय स बल के जवान को एक लाख रु प्रदेश सरकार प्रदान करेगी। अ पूर्व सैनिकों की कौन सी तकनी स्कूल पूणे में पुनः स्थापना प्रतिम प्रशिक्षण हेतु दो हजार रुपए की रा प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इस साथ ही युद्ध विधवाओं को बेटी शादी के लिए आर्थिक सहायता 16 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कि गया है। वहीं कल्याण बोर्ड ने 2018 में दो हजार पूर्व सैनिकों नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है।

चुनाव आचार संहिता के फेर में फंसी पूर्व सैनिकों की जॉब

■ स्टाफ रिपोर्टर, हमीरपुर

आदर्श चुनाव आचार संहिता के ...

... का आयोजन किया गया था। लिस्ट बनने के बाद 170 पूर्व सैनिकों को ज्वाइनिंग मिल गई। इसके बाद

सैनिकों की मदद में कांगड़ा सबसे आगे

■ स्टाफ रिपोर्टर, हमीरपुर

■ इस साल फ्लैग-डे फंड के

सैनिकों की सहायता ... 11 जिलों को पछा... गया है। यहां तक शिमला व किन्नौर कांगड़ा का मुकाबला नहीं, लाहुल-स्पीति ... भी कांगड़ा के समीप है। अकेले कांगड़ा फ्लैग-डे फंड में इस ... 39 हजार 727 रुपए हैं। सैनिकों की सहाय... जिला सबसे अग्रणी ... नंबर पर ऊना है। ... फ्लैग-डे फंड में तीन ...

इमिग्रेशन असिस्टेंट बनने का मौका

ऊना। अप्रवास ब्यूरो ने अनुबंध आधार पर इमिग्रेशन असिस्टेंट के 526 पद और इमिग्रेशन स्पोर्ट्स स्टाफ के 33 पदों को भरने के लिए सेना से सेवानिवृत्त अधिकारियों से आवेदन मांगे हैं।

उपनिदेशक जिला सैनिक ...

पूर्व सैनिकों की 186 बेटियों की शादियां करवाएगा बोर्ड

केंद्रीय सैनिक बोर्ड देगा 50-50 हजार तक सहायता राशि

उमेश कुमार शर्मा

हमीरपुर।

केंद्रीय सैनिक बोर्ड हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों की दो बेटियों की शादी को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि देगा। पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए नवंबर माह तक 186 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। ...

नवंबर में हवलदार रैंक के पूर्व सैनिकों ने किया है आवेदन

आवेदनकर्ता के दस्ता... तो विभाग उसे ऑब्ज... डालकर उसकी दस... प्रक्रिया को दुरुस्त कर... बाद ऑब्जर्वेशन ... आवेदन भी केंद्रीय ...

सैनिक कोटे से भर्ती होंगे 103 चालक

संहिता के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा सैनिक कल्याण विभाग

...मेश कुमार शर्मा

...मीरपुर।

साक्षात्कार और छंटनी के बाद अभ्यर्थियों का ...

की जाने वाली तिथियों पर साक्षात्कार और ट्रायल दे सकेंगे। इन पदों के ट्रायल के लिए अभ्यर्थी के ...

बस कुछ दिन और, फिर मिलेगी नौकरी

■ स्टाफ रिपोर्टर, हमीरपुर

आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे। दिसंबर महीने के अंत तक इसकी रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। 400 से अधिक पद भरने करने की तैयारी हो रही है। सैनिक कल्याण विभाग भर्ती प्रक्रिया का आयोजन करेगा। एचआरटीसी में ड्राइवर, जूनियर आफिस असिस्टेंट व शिक्षा विभाग में अध्यापक के पदों पर पूर्व सैनिकों को नौकरी मिलेगी। एक साथ 400 से अधिक पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। इन पदों की भर्ती के साथ ही पूर्व सैनिक विभाग एक साल में एक हजार पूर्व सैनिकों को नौकरी देने का अपना लक्ष्य भी पूरा कर लेगा। विभाग की मानें तो कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है अन्यथा पूर्व सैनिकों की भर्ती अब तक हो जानी थी। अब आचार संहिता के बाद निर्धारित मापदंड पूरे करने वाले पंजीकृत पूर्व सैनिकों को साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र भेजे जाएंगे। निजी साक्षात्कार के बाद विभिन्न विभागों में इनकी नियुक्ति होगी। 15 फीसदी कोटे के आधार पर सरकारी विभागों में पूर्व सैनिकों के पद भरे जाएंगे। पूर्व सैनिक विभाग के अनुसार एचआरटसी में पूर्व सैनिकों से 103 चालकों के पद भरे जाएंगे। इसके लिए हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस का होना अनिवार्य है। दिसंबर के अंत तक विभाग भर्ती प्रक्रिया आयोजित कर सकता है। इसके साथ ही जूनियर आफिस असिस्टेंट के करीब 250 पद भरे जाएंगे। निर्धारित योग्यता पूरी करने वाले सैनिकों को नौकरी मिलेगी।

> आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद पूर्व सैनिकों के लिए एचआरटीसी में चालक, जेओए व शिक्षा विभाग में अध्यापक के पदों पर भर्ती आयोजित की जाएगी। 400 से अधिक पदों पर भर्ती होगी
>
> ब्रिगेडियर एसके वर्मा
> निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग

इसके साथ ही शिक्षा विभाग में भी करीब 60 पदों पर भर्ती होगी। इसमें बीएड, जेबीटी के पदों पर भर्ती की जाएगी। [redacted] है कि सैनिक कल्याण [redacted] वर्ष 2017 में एक हजार [redacted] को नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। अब तक विभाग 800 से अधिक पूर्व सैनिकों को नौकरी प्रदान कर चुका है। इनको ज्वाइनिंग भी विभिन्न विभागों में हो गई है। इसके साथ ही वर्ष 2017 अब तक सबसे अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार देने वाला साल बन जाएगा। इससे पहले अब तक के इतिहास में एक साल में 600 से अधिक पूर्व सैनिकों को कोटे के आधार पर नौकरी नहीं मिली है।

इंतजार • मंत्रिमंडल से मंज़ूरी मिलने पर ही होगी आगे की कार्रवाई, रुकी है 800 पदों पर तैनाती

अब कैबिनेट में गूंजेगी पूर्व सैनिक भर्ती

■ सुरेंद्र ठाकुर, हमीरपुर

पूर्व सैनिक भर्ती में फंसा पेंच मंत्रिमंडल की बैठक में सुलझेगा। बहुत जल्द यह मामला कैबिनेट मीटिंग में उठेगा। इसे लेकर निर्धारित औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, ताकि पूर्व सैनिक बोर्ड भर्ती से

जाने वाली भर्ती लटक गई है। हालांकि दिसंबर में आदर्श आचार चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद बोर्ड भर्ती की तैयारियों में जुट गया था। भर्ती को लेकर सैनिक बोर्ड

ने प्रदेश सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। स्थिति साफ न होने के कारण अब यह मुद्दा कैबिनेट की मीटिंग में उठाया जाएगा। सैनिक बोर्ड की मानें तो बहुत जल्द कैबिनेट की

मीटिंग होगी, इसमें यह मसला रखा जाएगा। जनवरी में प्रस्तावित पूर्व सैनिकों की भर्ती पर संकट मंडरा गया है। ऐसे में अब नौकरी के लिए पूर्व सैनिकों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, अगर कैबिनेट से मंज़ूरी मिलती है, तो सैनिक बोर्ड ही भर्ती आयोजित करेगा। अगर फैसला इसके विपरीत हुआ, तो चयन आयोग के

को भी रोकना पड़ा। हालांकि सैनिक बोर्ड को भर्ती न करने संबंधी आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

> पूर्व सैनिकों की भर्ती संबंधी प्रक्रिया रोक दी गई है। बोर्ड व निगमों ने भर्ती पर रोक लगाई है। स्थिति स्पष्ट करने के लिए प्रदेश सरकार को लिखा

सरकार से नहीं मिला जवाब

---

809 पोस्ट के लिए नहीं मिले पूर्व फौजी

■ स्टाफ रिपोर्टर, हमीरपुर

सैनिक कल्याण विभाग ने कोटे के आधार पर निर्धारित पूर्व सैनिकों के 809 पद वापस लौटा दिए हैं। इन पदों के लिए राज्य के एक्स सर्विसमैन योग्यता पूरी नहीं कर

- पात्र उम्मीदवार न मिलने पर सैनिक कल्याण विभाग ने वापस लौटाए पद
- शिक्षा विभाग, एचआरटीसी व

पढ़ाई के लिए 1500 बच्चों को मिलेगा अनुदान

हमीरपुर। सैनिक कल्याण विभाग प्रदेश के 1500 पूर्व सैनिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए अनुदान देगा। 2017 में अनुदान राशि के लिए 1500 पूर्व सैनिकों के बच्चों ने आवेदन किया है। 2016 के मुकाबले 2017 में दोगुने आवेदन आए हैं। पहले मात्र 846 बच्चों ने अनुदान के लिए आवेदन किया था। इसके तहत पूर्व सैनिकों के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले दो बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये की राशि मिलेगी। एक

> पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए अनुदान राशि देगा सैनिक कल्याण विभाग

खुशखबरी सैनिक कल्याण बोर्ड विभिन्न विभागों में कोटे के आधार पर करेगा भर्ती

दो साल में 1849 पूर्व सैनिकों को जॉब

■ सुरेंद्र ठाकुर, हमीरपुर

हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक बोर्ड को 1849 नए पदों की सौगात मिली है। 2020 से पहले बोर्ड अब इन पदों पर भर्ती कर सकेगा। विभिन्न विभागों में कोटे के आधार पर पूर्व सैनिकों से ये पद भरे जाएंगे। विभिन्न विभागों से कोटे के आधार पर सैनिक बोर्ड के खाते में ये नौकरियां आई हैं। बड़ी संख्या में बोर्ड के हिस्से में आए पद पूर्व सैनिकों से भरे जाएंगे। लगभग सभी विभागों में पूर्व सैनिकों की तैनाती होगी। पदों की अधिसूचना में साफ किया गया है कि बोर्ड को दो साल के भीतर इन पदों पर नौकरी देनी होगी। अगर दो साल

पद संबंधित विभागों को वापस हो जाएंगे। ऐसे में अब पूर्व सैनिक बोर्ड इन पदों को भरने के लिए किसी बड़ी भर्ती का आयोजन कर सकता है। हालांकि जनवरी में ही एक भर्ती प्रस्तावित है। जनवरी के

कहां, कितनी वेकेंसी

सैनिक बोर्ड को मिले टीजीटी आर्ट्स में 88, टीजीटी मेडिकल में 12, टीजीटी नॉन मेडिकल में 16, स्टेनो टाइपिस्ट के 10, ... के 88, ... क्लर्क के 102, ... इलेक्ट्रिकल के 43, जेओए के 210, एचआरटीसी चालकों के करीब ... पद मिले हैं।

अंत तक 400 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। बोर्ड को मिले नए पदों के बाद भर्ती प्रक्रिया के शेड्यूल में भी फेरबदल हो सकता है। फिलहाल बोर्ड को मिले नए पद पूर्व सैनिकों के लिए राहत बनकर आए हैं। अब तक नौकरी से वंचित पूर्व सैनिकों को भी आगामी दो साल में नौकरियां मिलेंगी। गौर हो कि शैक्षणिक योग्यता व अन्य औपचारिकताएं पूरी करने वाले पूर्व सैनिकों को बोर्ड नौकरी प्रदान करता है। वर्ष 2017 में बोर्ड ने 950 पूर्व सैनिकों को नौकरी प्रदान की है। अब पूर्व सैनिकों के लिए एक और राहत भरी खबर है। कोटे के आधार पर सैनिक बोर्ड को

का शेड्यूल बनाकर कॉल लेटर भेजे जाएंगे। विभाग के अनुसार आदर्श आचार चुनाव आचार संहिता के चलते कुछ देरी हुई है। आचार संहिता हटते के बाद विभाग भर्ती प्रक्रिया से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने में जुट गया है।

> सैनिक कल्याण बोर्ड को 1849 नए पद मिले हैं। दो साल में इन पदों को भरा जाएगा। जनवरी के अंत में एक भर्ती आयोजित होगी। इसमें योग्य पूर्व सैनिकों का चयन किया जाएगा। विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों की तैनाती की जाएगी

अनुदान के लिए पूर्व सैनिकों के बच्चों के आए दोगुना आवेदन

पूर्व सैनिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए दी जाती है राशि, सैनिक कल्याण विभाग के प्रचार-प्रसार के कारण आवेदनों की संख्या में हो गई बढ़ोतरी

2016 में अनुदान के लिए मात्र आठ सौ बच्चों ने किया था आवेदन

2017 में आवेदनों की संख्या बढ़कर 1550 तक पहुंच गई

उमेश कुमार शर्मा

हमीरपुर।

केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ओर से पूर्व सैनिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए दिए जाने वाले वित्तीय अनुदान के लिए इस वर्ष बच्चों का रुझान बढ़ा है। अनुदान के लिए इस बार बच्चों के आवेदन पिछले वर्ष के मुकाबले दोगुना हो गए हैं।

बीते वर्ष 2016 में अनुदान के लिए दसवीं से ग्रेजुएशन तक के आठ सौ बच्चों ने आवेदन किया था। वहीं, इस बार आवेदनों की संख्या 1550 हो गई है।

विभाग ने दसवीं तक के छात्रों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर और बारहवीं तक के छात्रों के लिए 31 अक्तूबर रखी थी। वहीं, ग्रेजुएशन लेवल के लिए विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर रखी थी। इसके तहत 1550 छात्रों ने इस वर्ष वित्तीय अनुदान के लिए आवेदन किया है। जो पिछले वर्ष के मुकाबले करीब दोगुना है। सैनिक कल्याण विभाग के प्रचार-प्रसार के कारण बच्चों के आवेदनों में वृद्धि हुई है।

सैनिक कल्याण विभाग ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और आश्रितों के लिए संचालित योजनाओं का वर्णन अपनी पत्रिका में भी किया है। ये पत्रिका प्रत्येक सैनिक, पूर्व सैनिक और आश्रित तक पहुंचाई जा रही है।

इससे लाभार्थियों को योजनाओं का पता चल रहा है। इस वित्तीय अनुदान के अंतर्गत हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए एक हजार रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ओर से दी जाती है।

सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एसके वर्मा का कहना है कि इस बार वित्तीय अनुदान के लिए पूर्व सैनिकों के 1550 बच्चों ने आवेदन किया है। पूर्व के वर्ष में केवल आठ सौ बच्चों ने ही आवेदन किया था। इस बार योजनाओं के प्रसार के कारण आवेदनों में दोगुनी वृद्धि हुई है।

संदेश

मैं, प्रदेश की सभी वीर नारियों, पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को नव वर्ष 2018 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रदेश के सैनिकों ने प्रत्येक युद्ध या आन्तरिक एवम् बाहरी खतरे में उत्कृष्ट बहादुरी व देशभक्ति का परिचय दिया है। हमें सेवारत व सेवानिवृत सैनिकों पर गर्व है कि इन्होंने देश की रक्षा में सेवाएं देते हुए प्रदेश व देश का नाम ऊँचा किया है।

प्रदेश में 112935 पूर्व सैनिक, 940 वीर नारियां व 34282 सैनिक विधवाएं हैं। शहीदों के आश्रितों, पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों की पुर्नस्थापना एवम पुनर्रोजगार प्रदेश सरकार के लिये प्राथमिकता का विषय है । केन्द्र व राज्य सरकार ने इसके लिये विभिन्न योजनाओं का सृजन किया है। हमारा दायित्व है कि हम इन योजनाओं की जानकारी सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचा सकें ताकि अधिक से अधिक पूर्व सैनिक व उनके आश्रित इनका लाभ उठा सकें ।

प्रदेश सरकार शहीदों के आश्रितों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के पुर्नवास, पुर्ननिर्माण एवम पुर्नरोजगार के लिये पूर्णतः सजग एवम् जागरूक है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने का प्रयास रहेगा।

(जय राम ठाकुर)
माननीय मुख्यमंत्री,
हिमाचल प्रदेश

संदेश

शूरवीर हितैषी पत्रिका के 2018 के प्रथम त्रैमासिक अंक के प्रकाशन पर मैं, प्रदेश की वीर नारियों, पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों को नव वर्ष 2018 की हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रदेश में वर्तमान में 148157 पूर्व सैनिक व वीर नारियां हैं। इन सबका कल्याण सरकार के लिये सदैव प्राथमिकता का विषय रहेगा।

मैं स्वयं एक पूर्व सैनिक होने के नाते शहीदों के आश्रितों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं और वेदनाओं को भली–भांति समझता हूँ। राज्य सरकार द्वारा बहुत से कार्यक्रम व योजनायें इस संदर्भ में चलाये जा रहे हैं जैसे कि :–

- प्रदेश सरकार के सभी सरकारी विभागों मे क्लास-I,II,III,IV पदों पर पूर्व सैनिकों के लिये 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान ।
- अपंग सैनिकों व युद्ध शहीद के एक आश्रित को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी।
- व्यवसायिक पाठयक्रमों में पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिये आरक्षण।
- पूर्व सैनिकों के बच्चों को स्नातकोत्तर व व्यवसायिक पाठयक्रमों के लिए छात्रवृतियां।
- शौर्य पुरस्कार विजेताओं को प्रोत्साहन राशि।
- द्वितीय विश्व युद्ध के योद्धाओं व उनकी विधवाओं के लिये मासिक आर्थिक सहायता।
- शौर्य पुरस्कार विजेताओं और शहीद के एक आश्रित को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा।
- युद्ध विधवाओं की लड़कियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता।
- शहीदों व अन्य घायल सैनिकों के लिये अनुग्रह राशी।

- सैनिक विश्राम गृहों का संचालन।
- झण्डा निधि से पात्र पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता।
- व्यवसायिक प्रशिक्षण में सहायता।

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा भी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठायेंगे। मैं, मन्त्रालय की ओर से आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों के कल्याण क्षेत्र में कोई भी कमी नहीं आने देंगे तथा जो भी उचित कार्यवाही या महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, उन्हें शीघ्र अति शीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयास किया जायेगा।

धन्यवाद।

जय हिंद, जय हिमाचल।

(महेन्द्र ठाकुर)
सिंचाई एवं जनस्वास्थय,
बागवानी और सैनिक कल्याण
मंत्री हिमाचल प्रदेश

संदेश

हिमाचल शूरवीर हितैषी पूर्व सैनिकों व विधवाओं से संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हमारी कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के लिये जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी जानकारी आप लोगों तक इस पत्रिका के माध्यम से पहुँचायें। इसके अतिरिक्त हर ज़िला में सैनिक सम्मेलन करके लोगों से संवाद स्थापित करने का प्रयास जारी है। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भूतपूर्व सैनिकों के और अन्य संस्थाओं व कार्यालयों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भूतपूर्व सैनिक किसी भी तरह की समस्या निवारण के लिये जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। यदि जरूरत है तो आप निदेशालय से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

आप से निवेदन है कि आप अपने अन्य साथियों तक विभाग से सम्बन्धित जानकारी पहुँचायें। हिमाचल शूरवीर हितैषी के सभी अंक हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग की website (hp.gov.in/swd/) पर भी उपलब्ध है ताकि अधिक से अधिक लोग इनमें दी गई जानकारी से लाभ उठा सकें। मैं आप लोगों से यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि विभाग की या भूतपूर्व सैनिकों की बेहतरी के लिए यदि आप के पास सुझाव हो तो आप अपने सुझाव इस निदेशालय को भेजें।

मुझे आपके सुझावों का हमेशा इंतजार रहेगा।

जय हिन्द।

आपका सेवक,

ब्रिगेडियर सुरेश कुमार वर्मा,से0नि0
निदेशक
सैनिक कल्याण, हि0प्र0
फोन : 01972–221854, 224659

विभागीय कार्यकलाप / गतिविधियां

रोजगार :– पूर्व सैनिकों की पुर्नस्थापना एवं पुर्नरोजगार हिमाचल प्रदेश सरकार के लिये सदैव ही प्राथमिकता का विषय रहा है। प्रदेश के विभिन्न विभागों से भूतपूर्व सैनिकों के पदों की मांग हिमाचल प्रदेश,भूतपूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर द्वारा विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों जैसे कि JOA(IT), TGT(Arts, Non Medical, Medical) , PGT, Driver, JBT,JE (Civil), JE (Electrical), Steno Typist, Shastri Teacher, Drawing Teacher पूर्व सैनिकों के साक्षात्कार का निकट भविष्य में किये जायेगें।

अनुग्रह अनुदान :– अक्तूबर, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों, अपंग हुए सैनिकों व सेवारत सैनिक की सामान्य स्थिति में अकाल मृत्यु होने पर उनके परिवार के NOK को मुबलिग 31,70,000 / – रूप्ये की अनुग्रह अनुदान राशि 06 लाभार्थियों को प्रदान की गई।

झण्डा दिवस निधि से आर्थिक सहायता :–

सैनिक कल्याण विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2017–2018 में झण्डा दिवस निधि से हिमाचल प्रदेश के जरूरतमंद 26 पूर्व सैनिकों / उनकी विधवाओं को मुबलिग 2,35,000 / – रूप्ये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

Children Education Grant के ऑन लाईन आवेदन भेजने बारे ।

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली द्वारा Children Education grant के अन्तर्गत पूर्व सैनिकों / उनकी विधवाओं के दो बच्चों को शिक्षा अनुदान 1,000 / – रूप्ये प्रति माह के हिसाब से प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2017–2018 में केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा Children Education grant के अन्तर्गत आवेदन on line आमंत्रित किये। इस योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष 838 आवेदनों की तुलना में इस वर्ष लगभग 1363 ऑन लाईन आवेदन सही पाये जाने पर संस्तुति सहित इस निदेशालय से केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली को ऑन लाईन प्रेषित किये गये। आवेदनों की संख्या कुल पूर्व सैनिकों की संख्या के अनुपात में बहुत कम है । अगले वर्ष अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों से इस सुविधा का लाभ उठाने का आग्रह किया जाता है ।

Prime Minister Scholarship के ऑन लाईन आवेदन भेजने बारे

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना के अन्तर्गत पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के बच्चों को व्यवसायिक कोर्सों के लिए लड़कों के लिए रूप्ये 2,000/–प्रति माह व लड़कियों के लिये रूप्ये 2250/– प्रति माह के हिसाब से छात्रवृति प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2017–2018 में Prime Minister Scholarship योजना के अन्तर्गत पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के बच्चों के पिछले वर्ष 82 आवेदनों की तुलना में इस वर्ष 109 ऑन लाईन आवेदन सही पाये जाने पर संस्तुति सहित इस कार्यालय से केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली को ऑन लाईन प्रेषित किये गये।

पूर्व सैनिकों/ उनकी विधवाओं को Daughter marriage Grant के ऑन लाईन प्रार्थना पत्र भेजने बारे

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली द्वारा पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं (Upto Hav Rank) तक की लड़कियों की शादी हेतू आर्थिक सहायता मुबलिग 50,000/– रूप्ये प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन on line आमंत्रित किये। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 2017 तक 250 आवेदन सही पाये जाने पर संस्तुति सहित इस निदेशालय से केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली को ऑन लाईन प्रेषित किये गये।

Financial Assistance to the Orphan Children of ESM (All Ranks):-

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के अनाथ लड़कों व अविवाहित लड़कियों को मुबलिग 1000/– रूप्ये प्रति माह एक वर्ष के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कभी भी प्रेषित किये जा सकते हैं।

Penury Grant to the ESM/Widows of ESM :-

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा ऐसे पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और किसी भी प्रकार की पैन्शन नहीं लेते हैं, को पैन्यूरी अनुदान मुबलिग 4000/– रूप्ये प्रति माह के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2017–18 के लिये केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन

on line आमंत्रित किये गए। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 2017 तक 107 आवेदन संस्तुति सहित इस कार्यालय से केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये गये। इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कभी भी प्रेषित किये जा सकते हैं।

Financial Assistance to 100% Disable Children of ESM :-

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा ऐसे पूर्व सैनिक/उनकी विधवाऐं जिनके बच्चे 100 प्रतिशत अपंग हैं, को मुबलिग 1000/– रूप्ये प्रति माह के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2017–18 के लिये केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन on line आमंत्रित किये गए। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 2017 तक 01 आवेदन सही पाये जाने पर संस्तुति सहित इस कार्यालय से केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कभी भी प्रेषित किये जा सकते हैं।

Financial Assistance to Serious Diseases of ESM :-

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा ऐसे पूर्व सैनिक/उनकी विधवाऐं जो कि किसी भी प्रकार की पैन्शन नहीं लेते हैं को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा 1,25,000/– per year max or Rs.75,000/- per annum for treatment of cancer/dialysis की हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में दिसम्बर 2017 तक 02 आवेदन सही पाये जाने पर संस्तुति सहित इस कार्यालय से केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये गये। इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कभी भी प्रेषित किये जा सकते हैं।

Procurement of Mobility Equipment :-

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा ऐसे जरूरतमंद अपंग पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाऐं को Procurement of Mobility Equipment हेतु 57,500/– Maximum की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2017–2018 में दिसम्बर 2017 तक 01 आवेदन सही पाये जाने पर संस्तुति सहित इस कार्यालय से केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कभी भी प्रेषित किये जा सकते हैं।

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों में मैडिकल/व्यवसायिक/गैर व्यवसायिक कोर्सों में प्रवेश हेतु सशस्त्र सेना कर्मियों के आश्रितों को आरक्षण/प्राथमिकता

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, सेना भवन, नई दिल्ली द्वारा 19 मई 2017 के अन्तर्गत सशस्त्र सेना के सैनिकों के आश्रितों को राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय/स्वराज्य के अधीन संस्थाओं में चिकित्सा/व्यवसायिक/ नॉन व्यवसायिक कोर्सों में प्रवेश लेने हेतु निम्नलिखित प्राथमिकताएं सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन की गई हैं :–

प्राथमिकता – I	:	सशस्त्र सेना में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं/उनके आश्रित।
प्राथमिकता – II	:	युद्ध में अपंग व सेवा से बोर्ड द्वारा निष्कासित हुए सैनिक के आश्रित।
प्राथमिकता – III	:	ऐसे सशस्त्र सेना के सैनिक के आश्रित जो सैन्य सेवा के दौरान जिनकी आरोप्य मृत्यु हुई हो ।
प्राथमिकता – IV	:	ऐसे सशस्त्र सेना के अपंग हुए सैनिक के आश्रित जो अपंगता के कारण बोर्ड द्वारा सेवा से निष्कासित हुए
प्राथमिकता – V	:	पूर्व सैनिक और सेवारत सैनिक जिनको निम्नलिखित वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ है, के आश्रित :– (I) परमवीर चक्र (ii) अशोक चक्र (iii) सर्वोतम युद्ध सेवा मेडल (iv) महावीर चक्र (v) कीर्ती चक्र (vi) उत्तम युद्ध सेवा मेडल (vii) वीर चक्र (viii) शौर्य चक्र (ix) युद्ध सेवा मेडल (x) सेना, नौसेना, वायु सेना मेडल (xi) मैंशन इन डिसपैच
प्राथमिकता – VI	:	पूर्व सैनिक के आश्रित
प्राथमिकता – VII	:	सशस्त्र सेना के सेवारत सैनिक के आश्रित

(Authority : Govt of India, Ministry of Defence, Deptt of Ex-Servicemen Welfare, Sena Bhawan, New Delhi letter No 6(1)/2017/D (Res-II) dated 19 May 2017)

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा संचालित पूर्ण सैनिक कल्याणकारी योजनाओं के लिये ऑन लाईन (On line) पंजीकरण

1- भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता के आवेदन on line बैव पोर्टल ksb.gov.in का आरम्भ मार्च 2016 में किया गया है । इसके अन्तर्गत पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को केन्द्र सरकार द्वारा Children grant, Penury grant, Marriage grant, Orphan grant, House Repair grant, Disabled children grant, Officer's Training grant, Funeral grant, Vocational Training grant, PM Scholarship etc. के फार्म बैव पोर्टल ksb.gov.in पर on line भरे जाते हैं ।

2- इस वर्ष उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के ऑन लाइन आवेदनों की संख्या कुल पूर्व सैनिकों की संख्या के अनुपात में बहुत कम प्राप्त हुए हैं । अतः सभी पात्र पूर्व सैनिकों से अनुरोध है कि शीघ्र अति शीघ्र अपना पंजीकरण करवा कर सम्बन्धित योजना के लिये आवेदन करें।

3- इसके लिये आवेदक को पहले ऑन लाईन पंजीकरण करने उपरांत लॉग इन करना पडेगा । ऑनलाईन पंजीकरण करने हेतु आवेदक को ई–मेल आई डी, फोन नम्बर, आर्मी नम्बर, नाम, भर्ती व सेवानिवृति की तिथि, आधार नम्बर, घर का पता, बैंक का नाम खाता नम्बर व IFSC कोड एवम् भूतपूर्व सैनिक का पहचान कार्ड संख्या इत्यादि अपलोड करने होंगे । एक बार पंजीकरण करने उपरांत पूर्व सैनिक केन्द्र सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना के लिये आवेदन कर सकते हैं। पूर्व सैनिक के ऑन लाईन कोई भी फॉर्म भरने के उपरांत आवेदक के सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में फार्म प्रेषित हो जायेगा। सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ऑन लाईन फार्म की जांच पड़ताल करेगा व सही व योग्य पाये जाने पर आवेदक के फॉर्मों को निदेशक सैनिक कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश हमीरपुर को संस्तुति सहित ऑन लाईन प्रस्तुत करेगा । निदेशालय सैनिक विभाग हिमाचल प्रदेश पुनः जांच पड़ताल करने उपरांत केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को अनुमोदन हेतु ऑन लाईन प्रस्तुत करेगा । केन्द्रीय सैनिक बोर्ड ऑन लाईन फॉर्म को स्वीकृति करने उपरांत आवेदक के दिये गये खाता संख्या में आर्थिक सहायता डालेगा । **इस ऑन-लाईन योजना से पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता लेने हेतु काफी सुविधा प्रदान होगी। विभिन्न योजनाओं का विवरण व आवेदन तिथि इस प्रकार है :-**

Sr No	Grant	Amount	Financial Year	
			Appln Financial Year /Date/Academic Year	**Last date of uploading by ESM in Financial Year between 01 Apr 17 to 31 Mar 18**
1.	Prime Minister Scholarship	(a) 2,000 for Boys. (b) 2250/- for Girls.	Financial Year	15 Nov
1.	Penury (Initial)	4000/-PM	Financial Year	01 Mar
2.	Education (Up to two children)	1000/-PM	Academic Year (aa) Class 1st to 9th and 11th (ab) Class 10th & 12th (ac) Under Graduation Classes	 30 Sep 30 Oct 30 Nov
3.	Funeral	5000/- One time	Date of death (death occuring between 01 Apr to 31 Mar	Not to be accepted 180 Days from death of ESM
4.	Orphan (Initial)	1000/-PM	Date of death of last alive parent occurring between 01 Apr to 31 Mar	Not to be accepted 180 Days from death of ESM
5.	100% Disable Child (Initial)	1000/-PM	Date of signing of disability certificate between 01 Apr to 31 Mar by Defence Medical Authority	Not to be accepted 180 Days from date of signing of the disability certificate.
6.	Vocational Trg	20,000/- one time after completion of Trg.	Vocational course between 01 Apr to 31 Mar	Days from completion of course.
7.	NDA Cadet (Initial)	1000/-PM	Academic Year	01 Mar

8.	House Repair (a) Non 100% Disabled ESM (ab) 100% Disbaled ESM (ac) Ophan daughter of all Ranks	20,000/- (Maximum)	(aa) Date of respective State Govt. order promulgating an incident as Nature Calamity between 01 Apr 2017 to 31 Mar (ab) 100% disabled ESM to apply for Financial Year (ac) Orphan daughter of All ranks to apply for Financial Year as no Certificate of Natural Calamity required	(aa) Not to be accepted 180 days from date of respective State Govt.order promulgating an incident as Nature Calamity. (ab) 01 Mar (ac) 01 Mar
9.	Medical	30,000/- Per Year to Non pensioner ESM	Date of discharge from Hospital or date of last prescription between 01 Apr to 31 Mar	Not to be accepted 180 days from discharge from hospital or date of last prescription.
10.	Mariage	50,000/-	Date of Marriage between 01 Apr to 31 March	Not to be accepted before soleminization of marriage and 180 Days after date of Marriage
11.	Serious Diseases	1,25,000/- per year max. Rs.75,000/- per annum for treatment of cancer /dialysis	Date of discharge from Hospital or date of last prescription between 01 Apr to 31 March	Not to be accepted 180 days from discharge from hospital or date of last prescription
12.	Mobility Equipment	57,500/- Max	Date of disability Certificate issued or between 01 Apr to 31 Mar	Not to be accepted 180 days from date of disability or 31 Mar.
13.	Tool Kit	8,000/-per case one time	Financial Year Date of signing of Training Certificate of qualification between 01 April to 31 March held by the individual to utilize tool kit	Not to be accepted 180 days from date of signing of certificate of qualification.
14.	Susidy on home loan	1,00,000/- Max	Date of sanction of loan by bank between 01 April to 31 March	Not to be accepted 180 days from loan sanction after that renewal to be claimed by applicant every year for 5 years or return of loan whichever is earlier.
15.	Renewal of Penury		Financial Year 2017-18	01 March
16.	Renewal of Orphan		Financial Year 2017-18	01 March
17.	Renewal of Cadet Trg		Financial Year 2017-18	01 March
18.	Renewal of 100% disabled child		Financial Year 2017-18	01 March

पूर्व सैनिक रोजगार सम्बन्धित

आवेदक के पंजीकरण व रोजगार के सम्बंध में :–

हिमाचल प्रदेश के सभी विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए **15** प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है । सेवानिवृत होने वाले सैनिक, रोजगार हेतु अपना पंजीकरण सेवानिवृति से एक साल पहले अपने क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में करवा सकते हैं। अगर रोजगार हेतु पंजीकरण किसी कारणवश इस काल के अंतर्गत नहीं हो सका हो, तो वे सेवानिवृति के बाद भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय पंजीकरण के बाद सभी प्रार्थियों के कार्ड पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हिमाचल प्रदेश स्थित हमीरपुर को भेजते हैं।

सेवानिवृति के बाद पंजीकरण करने की विधि :–

आवेदक अपनी योग्यता अनुसार अपने रोजगार कार्यालय में तीन अलग–अलग व्यवसायों में नाम पंजीकरण करवा सकता है, इसके लिए उसे अपने सभी सम्बन्धित दस्तावेज पंजीकरण के समय प्रस्तुत करने होंगे। पंजीकरण करने से पहले पूर्व सैनिकों को अपनी योग्यता के आधार पर सही तरीके से व्यवसाय का चयन करना चाहिए । आवेदक को अपना पंजीकरण का नवीनीकरण समय अवधि यानि तीन वर्ष में करवा लेना चाहिए, जिसके लिए उसे अपना X-10 कार्ड अपने रोजगार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रार्थी का पंजीकरण रद्द हो जायेगा ।

अगर आवेदक ने पंजीकृत व्यवसायों में से कोई व्यवसाय बदली करना हो तो भी उसके अपने रोजगार कार्यालय में ही होगा । इसके इलावा अगर उसका पंजीकरण नवीनीकरण न होने की वजह से रद्द हो गया हो तो फिर से दोबारा/नया पंजीकरण भी उसी कार्यालय में होगा। व्यवसाय बदली करने पर वरिष्ठता तिथि उसी दिन से मान्य होगी। इसलिये पहली बार नाम दर्ज करवाते समय ही सोच समझ कर योग्यता अनुसार व्यवसाय का चयन करें, ताकि वरिष्ठता का लाभ भविष्य में न गवाना पडे। पूर्व सैनिकों की नौकरी के लिये मनोनयन की प्रक्रिया इस प्रकार से है।

- रिक्तियों की उपलब्धता
- पंजीकरण की तिथि
- आवेदक द्वारा पंजीकरण करवाते समय दिया गया विकल्प
- पात्रता जैसे कि योग्यता, संविधिक पंजीकरण इत्यादि

- वार्षिक नामिका ;पैनल) :- मैरिट ; वर्ष की संख्या एक वर्ष का 01 अंक और अधिकतम 25 अंक), चरित्र –05, सेवानिवृति का कारण– 05, श्रेणी – 05, पंजीकरण की तिथि–10 (कुल अंक–50)
- नये बुलावा पत्र केवल तभी निकाले जाते हैं जब तक पुराना पैनल (नामिका) का निर्गम/खाली न हो जाये (केवल पुलिस सिपाही के पद या उन पदों को छोड़कर जिनमें पात्रता या योग्यता में बदलाव हुआ हो।)

पूर्व सैनिकों के बच्चों और उनके आश्रितों के लिए नौकरियां

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार में 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सिर्फ पूर्व सैनिकों के लिये है। लेकिन किसी पद के लिए पात्रता और योग्यता अनुसार पूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं होते हैं तो राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना एवं नियमानुसार, दो वर्ष बाद ऐसे पदों का अप्राप्यता प्रमाण पत्र (Non Availablity Certificate) सम्बन्धित विभाग को दिया जाता है। जिसके उपरांत सम्बन्धित विभाग द्वारा इन पदों पर पूर्व सैनिकों के बच्चों को नियुक्ति नियमावली के अनुसार प्रदान की जाती है।

(पूर्व सैनिक या परिवार का कोई एक सदस्य इस आरक्षण के प्रावधान के अन्तर्गत नौकरी प्राप्त कर सकता है।)

हिमाचल प्रदेश के नये वीरता पुरस्कार विजेता जिनको भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2017 को अंलकृत किया ।

भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के सशस्त्र सेना में कार्यरत निम्न बहादुर अधिकारियों/सैनिकों को 15 अगस्त 2017 को वीरता पुरस्कार से अंलकृत किया गया है :–

Ser No	Army No, Rank and Home Address	Name of Award	Unit
1.	No 13767992A L/NK Kashmir SinghVill - Beari, PO- Brang, Teh - Sarkaghat, Distt- Mandi (HP)	Shaurya Chakra	17 JAK RIF
2.	IC-73258W Maj Malay Baidya Vill- Shekhpur, The - Nauapur, PO - Kandrori, Distt- Kangra (HP)	Sena Medal (G)	KUMAON
3.	JC-603041M Sub Shital Prasad Punn Vill- Khashadhar, PO & Teh - Chirgaon, Distt- Shimla (HP)	Sena Medal (G)	1/1 GR
4.	No 13760972K Hav Ishwar Singh VPO-Indora,Teh-Indora,Distt- Kangra	Sena Medal (G)	3 RR
5.	13764171A Hav Ashok Kumar VPO- Shivpur, Teh - Sangrah, Distt - Sirmour	Sena Medal (G)	9 PARA (SF)
6.	NO 2486816L Hav Pradeep Kumar Vill - Ghungher, PO - Kandi Dharlan, Tehsil - Baroh, Distt- Kangra	Sena Medal (G)	21 PUNJAB
7.	No 4573939A NK Revat Singh Vill- Kothi, PO - Kharihar Thara, Tehsil - Lad Bharol, Distt- Mandi	Sena Medal (G)	19 MAHAR
8.	No 2503753M Sep Param Jeet Vill- Neronkotri, PO- Koulanwala Bhood, Tehsil- Nahan, Distt- Sirmour	Sena Medal (G)	25 PUNJAB
9.	No 3998858H Hav Anil Kumar VPO- Aghar, Tehsil & Distt- Hamirpur	M-in-D	9 PARA (SF)
10.	No 13623331L L/Hav Ram Kumar VPO - Surla, Tehsil- Nahan, Distt- Sirmour	Sena Medal (G)	20 DOGRA
11.	No 39996861 NK Radha Krishan VPO- Manjoo, Tehsil- Arki, Distt- Solan	Sena Medal (G)	62 RR (DOGRA)
12.	JC-522357Y Nb Sub Sahdev Singh VPO- Bajrol, Tehsil- Sujanpur Tihra, Distt- Hamirpur	M-in-D	20 DOGRA

सैनिक कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश उपरोक्त सशस्त्र सेना में कार्यरत प्रदेश के बहादुर अधिकारियों/सैनिकों को वीरता पुरस्कार पाने पर हार्दिक बधाई देता है।

अपंग पुत्र को स्थाई ECHS सदस्यता

भूतपूर्व सैनिकों के ऐसे अपंग पुत्र जो कि, शारीरिक या मानसिक, किसी भी प्रकार की स्थाई अपंगता से ग्रस्त हो और जो कि **Person with Disability Act 1995** के अनुसार **40%** या इससे अधिक अपंग हों, वे किसी भी आयु तक तथा विवाह के उपरांत भी अगर अजीविका कमाने में असमर्थ हों, **ECHS** सदस्यता लाभ के पात्र होंगे।

इस संदर्भ में, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, (सैनिक कल्याण विभाग), नई दिल्ली का कार्यालय पत्र संख्या **No. 22D(15)/2017/WE/D(Res-I)** दिनांक 05 **December 2017** संलग्न है।

No. 22D (15)/2017/WE/D(Res-I)
Government of India
Ministry of Defence
Department of Ex-Servicemen Welfare
Sena Bhavan, New Delhi

Dated the 05 December, 2017

To,
The Managing Director
Central Organisation
Ex-Servicemen Contributory Health Scheme
Maudi Line
Delhi Cantt

Subject : ECHS Membership to married disabled son

Sir,

CO, ECHS may please refer to their proposal on the above subject submitted to this Department vide noting No. B/49701/PR/AG/ECHS/2017 dated 9th June, 2017 and subsequent notes dated 14-7-2017, 22-8-2017, 12-9-2017, 26-9-2017, 4-10-2017 & 23-11-2017.

2. The matter has been examined. It is seen that the DGL proposes to grant ECHS benefits to son of an Armed Forces Personnel, who is suffering from any disorder or disablity of mind or is physically crippled or disabled so as to render him unable to earn livelihood and has been granted family penson for life even after his marriage and also even after attaining the age of 25 years, subject to fulfillment of other, prescribed conditions as hithertofore.

3. The language of the DGL is identical to the language used by Ministry of Defence, Deptt. of ESW in para 2 of its order No. 02 (03)/2010-D (Pen/Policy) dated 17-1-2013.

4. According to MoD letter No. 18(01)/2011/US (WE)/ dated 31-10-2012, the rule for dependents of ECHS members would be the same as applicable in CGHS.

5. Further OM No. 4-24/96-C&P/CGHS (P) dated 31-5-2017 clearly provides that a CGHS beneficiary having a son suffering from any permanent disability of any kind (physical or mental) would be eligible for CGHS medical facilties irrespective of the age limit of 25 years. A careful reading of the same order also indicates clearly that this category of dependents sons would be eligible for CGHS facility iresepctive of getting married or remaining unmarried.

6. The amount of disability in which case the dependent son will be eligible for CGHS benefits has been decided at 40% or more of one or more disability as defined in section 2(I) of Persons with Disabilities (equal opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act 1995 and clause (I) of Section of National Trust of Welfare of Persons with Autism Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disablity Act 1999 provided the dependent sone are financially dependent on the CGHS members.

7. From the above it is clear that as per existing rules the son of ECHS member suffering from any permanent disability or any kind (physical/mental) subject to disability being 40% or higher in terms of the relevant Acts mentioned above is eligible for ECHS benefit irrespective of age limit and irrespctive of the fact that he is married or not.

8. Hence there is no need for any further order as proposed in the DGL.

9. It is stated that the order of the Department No. 02 (03) /2010 D (Pen/Policy) dated 17-01-2013 relates to grant of pension. These norms cannot be made applicable mutatis mutandis to medical matters. For medical matters we need to go by the eligibility criteria framed by CGHS.

10. In case CO, ECHS desires that CGHS should amend its orders in line with the DGL now proposed by them, CGHS may be approached with the suggestion.

Your's Faithfully,

Sd/ xxxxxxxx
(A.K. Karn)
Under Secretary (WE)

OFFICE OF THE PR. CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS (PENSIONS)
DRAUPADI GHAT, ALLAHABAD - 211014

Circular No. 589 Dated : 24-10-2017

To,

The OI/C
Records/PAO (ORs)

Subject :- Condonation of deficiency in service for grant of 2nd service pension in respect of DSC (Defence Security Corps) personnel.

Reference :- This office Circular No. 387 dated 23-06-2008.

****

A copy of GoI, MoD letter No. 14(02) /2011 -D (Pen/Pol) dated 20-06-2017, on the subject which is self-explanatory is forwarded herewith for information and necessary action.

2. The Government has clarified vide para 2 of ibid letter that condonation of deficiency in service is to be accorded on merit and in the deserving cases to make individual eligible for at least one service persion. Condonation of deficiency in qualifying service for grant of 2nd Service pension in respect of DSC personnel has no merit.

Therefore, no condonation shall be allowed for grant of second service pension in respect of DSC personnel.

3. It is therefore, advised that henceforth the laid down rules may be scrupulously adhered to for earning pension and condone shortfall strictly where merited.

4. This circular has been uploaded on PCDA (P) website pcdapension.nic.in.

Sd/- xxxxxxxx
(Nsaim Ullah)
Asstt. Controller (Pensions)

No. Gts/Tech/0148/LVI
Dated : 24-10-2017

Govt of India Ministry of Defence Departmnt of Ex-Servicemen Welfare New Delhi Letter No 14(02)/2011-D(Pen/Pol) dated 20 June 2017

Subject : Condonation of deficiency in service for grant of 2nd service pension in respect of DSC (Defence Security Corps) personnel.

1. Condonation of deficiency in service for eligibility of service pension has been mentioned in Rule 125 of Pension Regulatin Part-I 1961 (Rule 44 of Pension Regulation Part-I 2008). This rule is applicable in all cases except the case mentioned under the rule 125 of Pensin Regulation Part-I 1961 (Rule 44 of Pension Regulation Part-I 2008) Deficiency in service for eligibility of Service pension or Reservist pension or Gratuity in lieu may be condoned by competent authority up to 12 month as mentioned in GOI, MoD letter No. 4684/DIR(PEN)/2001 dated 14th August 2001.

2. Representations of the ex-servicemen who have been granted Service pensionfrom Army side and re-employed in DSC are received for condonation of deficiency in service for the 2nd service pension from DSC. The matter has been examined and decided that condonation of deficiency in qualifying service is to be accorded on merit and in the deserving cases to make individual eligible for at least one service pension. Condonation of deficiency in qualifying service for grant of 2nd service pension in respect of DSC personnel has no merit.

3. It is conveyed that the intention behind condonation of deficiency in service for grant of service pension is that the individual must not be left high & dry but should be made eligible for at least one service pension. In view of above, it is clarified that no condonation shall be allowed for grant of second service pension.

4. The Pension Regulation for the Army shall stand amended by inserting item "(iv) an individual who is eligible for 2nd service pension for the service rendered by individual in respect of DSC" below Regulation 44 of Pension Regulation for the Army Pt-I(2008).

5. All other terms and conditions shall remain unchanged.

6. This issues with the concurrence of Finance Division of this Ministry vide their ID No 10(16)/2016/FIN/PEN dated 26/08/2016.

Yours faithfully

Sd/x-x-x-x-x-
(K.T. Lepcha)
Under Secretary to the
Government of India

DEFENCE PENSIONER'S ADALAT (DPA) SCHEDULE AT CENTRE THEATER UNDER THE AEGIS OF HQ BEG CENTRE & RECORDS ROORKKE

As per information received from Records Bengal Engineer Group vide their letter No. 24501/DPA/NE PEN/Wed/R dated 29 Nov 2017, Def pension Adaladt is scheduled under the aegis of BEG Centre & Roorkee at Centre Theater where pension related anomalies/problems of pers proceeding on retirement shortly and veterans are reqd to be resolved in a fast track manner. Schedule of Defence Pension Adalat at BEG & Centre, Roorkee wef Feb 2018 to Sep 2018 is as under :-

Ser No	Description	Date
1.	Last Friday of Feb 2018	23 Feb 2018
2.	Last of Tuesday of Mar 2018	27 Mar 2018
3.	Last Friday of Apr 2018	27 Apr 2018
4.	Last Friday of May 2018	25 May 2018
5.	Last Friday of Jun 2018	29 Jun 2018
6.	Last Friday of Jul 2018	27 Jul 2018
7.	Last Friday of Aug 2018	29 Aug 2018
8.	Last Friday of Sep 2018	28 Sep 2018

CONDUCT OF VETERAN RALLY AT RAMPUR BY 133 MEDIUM REGIMENT

1. As per information received from 133 Medium Regiment vide their letter No. 330002/VN/17/A dated 08 Jan 2018, 133 Medium Regiment is conducting a Veteran Rally at Rampur on 31 Mar 2018 to 01 Apr 2018.

2. The Veteran Rally will aim at addressing the grievances of Veterans and educate them on latest policies and benefits. It will also act as platform for Veterans to voice their opinion and suggestion for common good of org

3. Veterans of the following districts will be in attendance:-

(a) Kullu. (b) Mandi. (c) Shimla.

(d) Kinnaur. (e) Spiti Valley.

निदेशालय सैनिक कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश स्थित हमीरपुर–177001

शूरवीर हितैषी पत्रिका लेने हेतू – अभिदान फार्म (Subscription Form)

1. Army No ______________________________
2. Rank ______________________________
3. Name ______________________________
4. Mobile Number ______________________________
5. Permanent Home Address :
   (जहाँ पत्रिका लेने चाहते है) ______________________________
   ____
6. Pin Code ______________________________
7. Subscription Amount ______________________________
   (For life Rs. 500/-)
8. Mode of Payment : Bank draft in favour of the Editor Shurveer Hitaishi Patrika HP at Hamirpur

Place : ____________

Dated : ____________

____
(Signature of the Applicant)